मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-3/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 25 जून, 2015

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त कोषालय अधिकारी
मध्यप्रदेश ।

विषय- वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गये खाते बंद किये जाने बावत् ।

—◆—

उपर्युक्त विषय पर पूर्व में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-1/2009/नियम/चार, दिनांक 4-5-2009 एवं दिनांक 2-7-2009 से निर्देश जारी किए गए हैं ।

2/ शासन के ध्यान में आया है कि उपर्युक्त के उपरांत भी वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना ही बैंक खाते खोले जा रहे हैं । अतः निर्देश दिए जाते हैं कि :-

(अ) वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना खोले गये बैंक खातों को तत्काल प्रभाव से बंद कर उनमें जमा राशि राज्य शासन के पक्ष में जमा की जाये ।

(ब) वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना कोई भी अग्रिम आहरण नहीं किया जाए (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनमें बुक ट्रांसफर से भुगतान किया जा रहा है) ।

(स) यदि किसी कोषालय अधिकारी द्वारा वित्त विभाग की बिना अनुमति के खोले गये बैंक खातों में/से राशि का अंतरण या बिना स्वीकृति के अग्रिम आहरण अनुमत्य किया जाता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रं. : एफ 11-3/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 25 जून, 2015

प्रतिलिपि,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह-आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

SUNITA/Pniporu/2015